स्वयंसेवकों के कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए आवश्यक निर्देशिका

This resource kit was developed by Safe Work Australia in conjunction with the Department of Prime Minister and Cabinet Not-for-Profit Reform Council working group. The Working Group was comprised of representatives from peak volunteer organisations:

- Volunteering SA & NT
- Uniting Care Australia
- Anglicare Australia
- The Smith Family
- The Red Cross
- Scouts Australia
- Surf Life Saving Australia, and
- The Australian Sports Commission.

Safe Work Australia acknowledges the contribution of the working group in the development of this important resource for volunteers and the vital role volunteers play in communities around Australia.

ISBN 978-0-642-78559-6 [PDF]

Creative Commons

This copyright work is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Australia licence. To view a copy of this licence, visit

http://creativecommons.org/licenses

In essence, you are free to copy, communicate and adapt the work for non commercial purposes, as long as you attribute the work to Safe Work Australia and abide by the other licence terms.

सामग्री तालिका

1	परिचय	4
2	WHS के कानूनों के तहत किसके कर्तव्य होते हैं?	6
3	आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवक हैं, उसे क्या करने की आवश्यकता है?	9
4	एक स्वयंसेवक कर्मी के रूप में आपको क्या करने की आवश्यकता है?	12
5	स्वयंसेवक अधिकारी	15
6	घर से स्वयंसेवा कार्य करना	17
7	आपातकालीन सेवा स्वयंसेवक	18
8	WHS कानून धमकाने के आचरण और भेदभाव से आपकी सुरक्षा करते हैं	19
9	अन्य कानून	20
10	जाँच-सूची	22

1 परिचय

कार्यस्थल पर हर किसी को सुरक्षित रहने का अधिकार है, जिसमें स्वयंसेवक भी शामिल हैं। स्वयंसेवक पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर के समुदायों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हरेक दिन कई प्रकार के संगठनों के लिए अवैतनिक कार्य करके महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

यह निर्देशिका इस बारे में सूचना प्रदान करती है कि नए कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा [Work Health and Safety (WHS)] कानून स्वयंसेवकों, उनके अधिकारों और दायित्वों पर कैसे लागू होते हैं। यह स्वयंसेवकों द्वारा अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के तरीकों की एक रूपरेखा प्रदान करती है और यह समझाती है कि स्वयंसेवक जिन संगठनों के लिए स्वयंसेवा कार्य करते हैं, वे उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं।

यह निर्देशिका स्वयंसेवकों और जिन संगठनों के लिए वे कार्य करते हैं, उनको WHS कानूनों को समझने में मदद देने के लिए विकसित किए गए एक संसाधन किट का अंश है। WHS कानूनों के बारे में और अधिक उपयोगी जानकारी Safe Work Australia की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

समन्वित कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून

1 जनवरी 2012 को Australian Capital Territory, New South Wales, Queensland, Northern Territory और Commonwealth ने अपने WHS कानूनों को समन्वित किया। इसका अर्थ यह है कि इन न्याय-क्षेत्रों में किसी व्यापार या उपक्रम (संगठन) का आयोजन करने वाले व्यक्ति और स्वयंसेवकों सहित कर्मी एक ही WHS कानूनों द्वारा संरक्षित हैं। Tasmania इन WHS कानूनों को 1 जनवरी, 2013 से लागू करेगा।

चाहे आप किसी भी न्याय-क्षेत्र में स्वयंसेवा कार्य करते/करती हों, इस निर्देशिका में दी गई जानकारी WHS कानून के तहत एक स्वयंसेवक के रूप में आपको अपने अधिकारों और दायित्वों को समझने में मदद देगी।

इस निर्देशिका में इस्तेमाल किए गए प्रमुख शब्द

इस निर्देशिका में प्रयुक्त किए गए शब्दों में से कुछ शब्दों का WHS कानून के तहत विशेष अर्थ होता है। इन महत्वपूर्ण शब्दों और उनके अर्थ की एक सूची नीचे प्रदान की गई है।

प्रमुख शब्द	**अर्थ**
किसी व्यापार या उपक्रम का संचालन करने वाला व्यक्ति [Person conducting a business or undertaking (PCBU)]	किसी व्यापार या उपक्रम का संचालन करने वाला व्यक्ति (PCBU) कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा [Work Health and Safety (WHS)] अधिनियम के तहत मुख्य कर्तव्य-धारक होता है। वह आम-तौर पर कार्य-नियोक्ता होता है और वह एक साझेदारी, कंपनी, अनिगमित निकाय या संघ, एकमात्र व्यापारी, सरकारी विभाग या वैधानिक अधिकार हो सकता है। एक स्वयंसेवी संगठन PCBU हो सकता है यदि वह एक या एक से अधिक वेतन पाने वाले कर्मियों को रोजगार देता है। इस संपूर्ण निर्देशिका में PCBU को एक ***'संगठन'*** के रूप में संदर्भित किया गया है।
यथोचित देखभाल	यह शब्द देखभाल के मानक का वर्णन करता है, जिसे स्वयंसेवकों सहित कर्मियों द्वारा पूरा किया जाना चाहिए। इसका अर्थ वह कार्य करना है जो एक उचित व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी परिस्थिति में करेगा: • आपका ज्ञान • आपकी भूमिका

प्रमुख शब्द	अर्थ
	• आपकी कुशलताएँ और आपके लिए उपलब्ध संसाधन • आपकी उपाधियाँ • आपके पास क्या जानकारी है, और • इन परिस्थितियों में कार्य न करने से स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ने वाले परिणाम।
यथोचित साध्य	इस शब्द का प्रयोग किन्हीं स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों को विशेषीकृत या सीमित करने के लिए किया जाता है। कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के संदर्भ में यदि कुछ यथोचित साध्य है, तो इसका अर्थ यह है कि निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए कुछ किए जाने की यथोचित सक्षमता है, या किसी विशेष समय पर यह सक्षमता मौजूद थी: • संगत जोखिम या खतरे के होने की सँभावना • जोखिम या खतरे के परिणामस्वरूप हो सकने वाले नुकसान की सीमा • जोखिम या खतरे के बारे में संबंधित व्यक्ति क्या जानता है, या उसे यथोचित रूप से क्या पता होना चाहिए था, और उस जोखिम या खतरे का उन्मूलन करने या उसे कम से कम करने के तरीकों के बारे में वह क्या जानता है/था • खतरे का उन्मूलन करने या उसे कम से कम करने के तरीकों की उपलब्धता और उपयुक्तता, और • खतरे का उन्मूलन करने या उसे कम से कम करने की लागत।
स्वयंसेवक	किसीPCBU के लिए भुगतान या इनाम के बिना काम करने वाला व्यक्ति
स्वयंसेवक संगठन	समुदाय के एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए साथ में काम कर रहे लोगों का एक समूह, जो वेतनीय कर्मियों को काम पर नहीं रखता है। स्वयंसेवक संगठनों को WHS अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया जाता है।
कर्मी	कर्मी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी PCBU के लिए किसी भी क्षमता में काम करता है। इसमें स्वयंसेवक के रूप में किया जाने वाला कार्य भी शामिल है।

2 WHS कानूनों के तहत किसके कर्तव्य होते हैं?

संगठन

काम करने वाले अधिकांश संगठनों के WHS कानूनों के तहत कर्तव्य होते हैं, लेकिन *स्वयंसेवक संगठनों* – ऐसे समूह जोकि पूरी तरह से स्वयंसेवकों से बने होते हैं और वेतनीय कर्मियों को काम पर नहीं रखते हैं – उनके ये कर्तव्य नहीं होते हैं। यदि आप इस तरह के किसी समूह के लिए स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, तो WHS कानूनों के तहत आपके लिए भी कर्तव्यों की ज़रूरत नहीं होती है।

WHS कानूनों के तहत वेतनीय कर्मियों को काम पर रखने वाले संगठनों के लिए यह आवश्यक होता है कि यथोचित साध्य रूप से वे स्वयंसेवकों सहित अपने सभी कर्मियों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करें। इसका अर्थ यह है कि स्वयंसेवकों के लिए भी अन्य सभी कर्मियों के समान कर्तव्य होते हैं और आप जहाँ भी स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, वहाँ आपके लिए सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त होता है ।

इस निर्देशिका में WHS कानूनों के तहत स्वयंसेवकों को कर्तव्य देने वाले विभिन्न प्रकार के संगठनों को मात्र 'संगठन' कहा गया है।

क्या आपको पता है?

स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्य होना पूरी तरह से एक नई बात नहीं है। Queensland, Northern Territory, South Australia और Australian Capital Territory में पिछले व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा नियम विशेष रूप से स्वयंसेवकों के लिए लागू होते थे। अन्य न्याय-क्षेत्रों में कार्यस्थल पर अन्य लोगों जैसेकि कार्यस्थल पर आने वाले आगंतुकों व स्वयंसेवकों की सुरक्षा करने का एक कर्तव्य था।

आगे दिए गए फ्लोचार्ट का प्रयोग करके यह पता लगाएं कि क्या आप या आपके संगठन के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्य हैं।

उदाहरण 1 – किसी स्वयंसेवक संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य करना:

सैली को स्थानीय ऐतिहासिक समाज का कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ऐतिहासिक समाज को 1982 में स्थापित किया गया था और इसे स्वयंसेवकों के एक समूह द्वारा संचालित किया जाता है। समाज एक नियमित आधार पर मुलाकातें करता है। कभी-कभी समाज दान में प्राप्त भवन के रख-रखाव के लिए एक हैंडीमैन को भुगतान करता है। हैंडीमैन को समाज के किसी भी सदस्य ने कार्य में नियोजित नहीं किया है।

चूँकि स्वयंसेवकों का समूह किसी को भी रोजगार नहीं देता है और वे सभी एक समुदाय के उद्देश्य के लिए एक-साथ काम करते हैं, इसलिए वे एक स्वयंसेवक संगठन हैं। इसका मतलब यह है कि सैली और ऐतिहासिक समाज के लिए कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा (WHS) अधिनियम के तहत कोई भी कर्तव्य नहीं हैं।

उदाहरण 2 - किसी व्यापार या उपक्रम का संचालन करने वाले व्यक्ति के लिए स्वयंसेवा कार्य करना:

सैली को स्थानीय ऐतिहासिक समाज का कोषाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। ऐतिहासिक समाज को 1982 में स्थापित व इंकॉर्पोरेटिड किया गया था और इसे वेतन पाने वाले कर्मचारियों और स्वयंसेवकों द्वारा संचालित किया जाता है। समाज खातों की देख-रेख करने के लिए एक व्यक्ति व कार्यालय को चलाने के लिए एक अन्य व्यक्ति को अंशकालिक आधार पर कार्यरत करता है। चूँकि समाज लोगों को रोजगार देता है, इसलिए WHS अधिनियम के तहत एक **व्यापार या उपक्रम का संचालन करने वाला व्यक्ति** (PCBU) के रूप में इसके लिए कर्तव्य होते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि WHS अधिनियम के तहत सैली के लिए एक कर्मी के रूप में कर्तव्य हैं।

WHS कानून और कार्य

चूँकि WHS अधिनियम के तहत स्वयंसेवक संगठनों के कोई कर्तव्य नहीं होते है, इसलिए कुछ गतिविधियों को WHS कानून कवर नहीं करता है। जो गतिविधियाँ केवल घरेलू, सामाजिक, मनोरंजनात्मक या निजी प्रकृति की होती हैं, उन्हें कार्य नहीं माना जाता है और इसलिए WHS अधिनियम में उनके शामिल होने की संभावना नहीं होती है। उदाहरण के लिए:

- स्वयंसेवक नेता के रूप में बच्चों के साथ टैग के खेल का संचालन करना
- बच्चों के एक समूह को सुरक्षित रूप से शिविर में आग जलाने के लिए प्रशिक्षण देना, या
- सप्ताहांत में युवा लोगों के एक समूह को बुश वॉक पर ले जाना।

जिन गतिविधियों को कार्य माना जा सकता है, उनमें शामिल हैं:

- किसी संगठन को अपना काम पूरा करने के लिए ज़रूरी चीजों का रख-रखाव करना, उदाहरण के लिए एक स्वयंसेवक समूह की मुलाकात के स्थल वाले एक हॉल का रख-रखाव करना
- ऐसी गतिविधियाँ जिसके लिए सामान्यत: लोगों को भुगतान किया जाता है लेकिन आपके संगठन के लिए उन्हें एक स्वयंसेवक द्वारा किया जाता है, उदाहरण के लिए, सेवार्थियों को समय-नियुक्तियों के लिए गाड़ी में ले जाना

यदि आप इस बारे में अनिश्चित हैं कि आपके द्वारा किए जाने वाले स्वयंसेवा कार्य को WHS अधिनियम द्वारा कवर किया जाता है या नहीं, तो जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं उसके साथ बात करें।

स्वयंसेवक

WHS अधिनियम के तहत यदि आप वेतनीय कर्मियों को संलग्न करने वाले किसी संगठन के लिए भुगतान या वित्तीय पुरस्कार के बिना काम करते/करती हैं (लेकिन हो सकता है कि आपको आउट-ऑफ-पॉकेट खर्चे प्राप्त होते हों), तो आप एक स्वयंसेवक हैं।

यदि आप WHS अधिनियम के तहत एक स्वयंसेवक हैं, तो आप एक कर्मी भी हैं। इसका अर्थ यह है कि जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसे आपको वही सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए जो वह अपने वेतनीय कर्मियों को प्रदान करता है। एक कर्मी के रूप में आपके WHS अधिनियम के तहत कर्तव्य भी हैं (अध्याय 4 देखें)।

3 आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवक हैं, उसे क्या करने की आवश्यकता है?

आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवक हैं यदि उसे WHS अधिनियम द्वारा कवर किया जाता है, तो उसे यथोचित साध्य रूप से स्वयंसेवकों सहित अपने सभी कर्मियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। इसका मतलब है कि एक स्वयंसेवक के रूप में आपको संगठन के वेतनीय कर्मियों के समान ही सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यह सुरक्षा कार्यस्थल में आपकी शारीरिक सुरक्षा के साथ-साथ आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी कवर करती है।

किसी संगठन का यह कर्तव्य *'जितना यथोचित साध्य हो सके'* द्वारा विशेषीकृत होता है। इसका अर्थ यह है कि संगठन को इस बात की गारंटी नहीं देनी होती है कि कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जो कुछ भी यथोचित किया जा सकता है, वह किया जाना चाहिए।

आपके द्वारा स्वयंसेवा कार्य किए जाने के समय आपको सुरक्षित रखने के लिए संगठन को क्या करने की आवश्यकता होती है, यह निर्धारित करने के लिए जिन अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, वे हैं:

- आप जिस संगठन के लिए कार्य कर रहे/रही हैं, उसका प्रकार – उदाहरण के लिए लाभहीन कार्य करने वाला संगठन
- आप किस प्रकार का कार्य कर रहे/रही हैं
- उस काम के साथ जुड़े खतरे की प्रकृति और चोट या बीमारी होने की संभावना
- उन खतरों का उन्मूलन करने या उन्हें कम से कम बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, और
- जहाँ यह कार्य किया जाता है, वहाँ का स्थान या पर्यावरण।

उदाहरण के लिए, अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए संगठन आपको निम्नलिखित उपलब्ध करा सकता है:

- अपना कार्य सुरक्षित रूप से करने के तरीके के बारे में प्रशिक्षण, सूचना और निर्देश
- व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण
- प्राथमिक चिकित्सा सुविधाएं या प्रशिक्षण, और
- आपात प्रक्रियाओं के बारे में सूचना, खतरों और घटनाओं की रिपोर्ट कैसे करें।

आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते/करती हैं उसे अपने कर्तव्य के एक अंश के रूप में जो करना चाहिए, उसमें एक चीज यह भी है कि वह आपके साथ कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में साफ-साफ बातचीत करे।

उदाहरण:

जॉन एक स्वास्थ्य संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य करता है। वह सेवार्थियों को चिकित्सा-नियुक्तियों के लिए अपनी कार में ड्राइव करता है। इस बात का खतरा है कि यह स्वयंसेवा कार्य करते समय उसकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। जिस संगठन के लिए वह कार्य करता है, वह इस खतरे का पूरी तरह से उन्मूलन तो नहीं कर सकता है, लेकिन इसे कम करने में मदद देने के लिए वह कई चीजें कर सकता है। संगठन:

- यह जाँच कर सकता है कि जॉन के पास एक वर्तमान चालक (ड्राइवर्स) लाइसेंस है
- यह सुनिश्चित कर सकता है कि जॉन की कार का रख-रखाव ठीक से बनाए रखा गया है और वह वर्तमान में बीमाकृत और पंजीकृत है
- जॉन को स्वयंसेवा कार्य शुरू करने से पहले अपनी *'सेवार्थी परिवहन नीति' (Transporting Clients Policy)* और सुरक्षा प्रक्रिया प्रशिक्षण उपलब्ध करा सकता है
- यह जाँच कर सकता है कि जॉन यह समझे कि *'सेवार्थी परिवहन नीति'* की यह एक आवश्यकता है कि जॉन और अन्य सेवार्थी उस राज्य के सड़क नियमों का पालन करें जहाँ वे यात्रा कर रहे होते हैं। इसमें यात्रियों को सीटबेल्ट पहनने की आवश्यकता भी शामिल है

ये करके संगठन ने यथोचित साध्य रूप से यह सुनिश्चित कर लिया है कि जॉन और ग्राहक सुरक्षित रहें।

एक सामुदायिक संगठन के लिए एक स्वयंसेवक के रूप में ड्राइविंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए एनएसडब्ल्यू समाज सेवा परिषद (NSW Council of Social Services) का तथ्य पत्र *Insurance and Driving as part of Volunteering* देखें।

सुरक्षा के बारे में बात करना

जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसे आपको प्रभावित करने वाले कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों के बारे में आपके साथ बात या अन्यथा परामर्श करना चाहिए। इसमें आपके कार्य के साथ जुड़े संभावित खतरों के बारे में बात करना और संगठन नुकसान से कैसे आपकी रक्षा कर रहा है, इसके बारे में बात करना शामिल है।

परामर्श में आपके स्वयंसेवा कार्य करते समय अधिक से अधिक रूप में आपको और दूसरों को सुरक्षित बनाने के तरीके के बारे में विचारों को प्रदान करने का अवसर देना शामिल करना चाहिए। कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बात करने के लिए कोई 'एक सही रास्ता' नहीं होता है। संगठन किस प्रकार से ऐसा करते हैं, यह संगठन के आकार, किए गए कार्य के प्रकार, और कार्यकर्ताओं को संलग्न करने की व्यवस्था पर निर्भर करेगा। यदि जिस संगठन के लिए आप वर्तमान में स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, वह कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में आपसे बात करता है और आप इसके काम करने के तरीके से खुश हैं, तो यह बहुत अच्छा है! बातें जिस ढंग से अभी हो रही हैं, वे उसी तरीके से चल सकती हैं।

जिन तरीकों सेपरामर्श किया सकता है, उनमें शामिल हैं:

- कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में समाचार, सूचना और अद्यतन क्रिया-कलापों को उजागर करने वाले नियमित न्यूज़लेटर्स को मेल या ईमेल के माध्यम से भेजना
- नोटिस बोर्ड या वेबसाइटों के स्वयंसेवक खण्डों को नियमित रूप से सूचना के लिए अद्यतन करना, जिसमें संगठनों की नवीनतम सुरक्षित कार्य नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी शामिल हो
- आपके लिए एक 'सुझाव' ईमेल बॉक्स बनाए रखना, जिससे कि आप सुरक्षित रूप से कार्य करने के तरीकों और अन्य मामलों के बारे में सुझाव दे सकें
- आप जो कार्य करते/करती हैं, तथा उसे सबसे सुरक्षित तरीके से कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें आयोजित करना, और
- वर्तमान में किए जाने वाले कार्य से प्रासंगिक विशिष्ट स्वास्थ्य और सुरक्षा के विषयों पर चर्चा करने के लिए संक्षिप्त 'टूलबॉक्स टॉक्स' का आयोजन करना, या यदि कर्मी अनुरोध करें तो स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य-समूहों के साथ संबंध बनाना।

संगठन को आपके साथ नियमित रूप से इस बारे में बात करनी चाहिए कि आप सुरक्षित रूप से अपना काम कैसे कर सकते/सकती हैं। उन्हें आपको यह भी बताना चाहिए कि यदि आपके स्वयंसेवा कार्य करते समय कोई दुर्घटना होती है या अगर अपना काम और अधिक सुरक्षित रूप से करने के तरीके के बारे में आपके पास कोई सुझाव है, तो क्या करना चाहिए या किससे संपर्क करना चाहिए।

यदि आप किसी ऐसे स्वास्थ्य और सुरक्षा मामले को नोट करते/करती हैं जिसे जल्दी से जल्दी हल करना चाहिए, तो अपने प्रबंधक या पर्यवेक्षक के सामने यह मुद्दा उठाएं। आपको एक प्रभावी समाधान खोजने के लिए एक-साथ काम करना चाहिए।

यदि कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा का मामला सभी शामिल दलों के साथ बात करके हल नहीं किया जा सकता है, तो जिस संगठन में आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसे WHS कानूनों में स्थापित मुद्दा समाधान प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता होती है।

उदाहरण:

सोफी एक स्थानीय स्वास्थ्य संगठन में स्वयंसेवा कार्य करना शुरू करती है। पहले दिन संगठन में स्वयंसेवा कार्यक्रम का प्रबंधन करने वाला व्यक्ति सोफी के साथ कई बातों पर चर्चा करता है, जिसमें शामिल हैं:

- वह क्या काम करेगी

- उसे अपना काम सुरक्षित रूप से कैसे करना चाहिए
- संगठन की नीतियाँ, प्रथाएँ और प्रक्रियाएँ, जिनका प्रयोग कर्मी और स्वयंसेवक करते हैं
- कर्मियों और स्वयंसेवकों के लिए संगठन के कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा का सुझाव ईमेल बॉक्स और वेबपेज, और
- यदि कार्यस्थल में स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली कोई घटना होती है, तो किससे संपर्क करना चाहिए।

सोफी का प्रबंधक उसे कार्य नीतियों, प्रथाओं और प्रक्रियाओं की प्रतियां उपलब्ध कराता है। सोफी एक आधे दिन के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में भाग भी लेती है, जिसमें यह सिखाया जाता है कि स्वयंसेवा कार्य करते समय उसके द्वारा संचालित की जाने वाली आवश्यक मशीनरी का उपयोग कैसे किया जाए।

सोफी के संगठन में कार्य शुरू करने के एक महीने बाद उसका प्रबंधक स्वयंसेवकों की एक बैठक आयोजित करता है। प्रबंधक यह घोषणा करता है कि सुरक्षित कार्य नीतियों में से एक नीति का संशोधन किया जा रहा है और वह स्वयंसेवकों से नीति में सुधार करने के सुझाव पूछता है। सोफी नीति को एक बार देखकर परिवर्तनों के बारे में अन्य स्वयंसेवकों से चर्चा करती है। सोफी के पास नीति में शामिल किए जाने के लिए कोई सुझाव नहीं है, लेकिन अन्य स्वयंसेवक अपने प्रबंधक द्वारा विचार किए जाने हेतु ईमेल बॉक्स में कुछ विचार भेजते हैं। जब नीति को अंतिम रूप दिया जाता है, तो संगठन की वेबसाइट के कर्मचारी और स्वयंसेवक खंड में एक नोटिस प्रकाशित किया जाता है।

जिस संगठन में सोफी स्वयंसेवा कार्य करती है, वह कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में एक नियमित आधार पर अपने कर्मियों और स्वयंसेवकों के साथ बात करता है। जिस ढंग से संगठन कर्मियों के साथ परामर्श करता है, वह अच्छी तरह से काम कर रहा है - इसलिए वह उसे वैसे ही चलने देता है।

4 एक स्वयंसेवक कर्मी के रूप में आपको क्या करने की आवश्यकता है?

आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य कर रहे/रही हैं, उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वयंसेवा कार्य करते समय आप अधिक से अधिक सुरक्षित रहते/रहती हैं। लेकिन एक स्वयंसेवक के रूप में आपको चाहिए कि आप:

- अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उचित ध्यान रखें
- यह सुनिश्चित करने के लिए उचित ध्यान रखें कि आप दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करते/करती हैं
- सुरक्षित तरीके से अपने कार्य को पूरा करें
- आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य कर रहे/रही हैं, उसके द्वारा आपको दिए गए यथोचित कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, और
- आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य कर रहे/रही हैं, उसकी यथोचित कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों व प्रक्रियाओं के साथ सहयोग करें

मूलतः, यथोचित देखभाल वह कार्य करना है जो एक उचित व्यक्ति निम्नलिखित प्रकार की चीजों को ध्यान में रखते हुए किसी परिस्थिति में करेगा:

- अपना ज्ञान
- अपनी भूमिका
- अपनी कुशलताएँ और अपने लिए उपलब्ध संसाधन
- अपनी उपाधियाँ
- उनके पास क्या जानकारी है, और
- इन परिस्थितियों में कार्य न करने से स्वास्थ्य और सुरक्षा पर पड़ने वाले परिणाम।

आपके द्वारा यथोचित देखभाल किया जाना सुनिश्चित करने के अन्य तरीके हैं:

- आपको दी गई भूमिका के तहत गतिविधियों को अंजाम देना
- जिन गतिविधियों को करने के लिए आपके पास कुशलताएँ नहीं हैं, उन्हें न करना
- ऐसा और कुछ भी न करना जो असुरक्षित प्रतीत हो।

आप अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्य को पूरा करने के लिए जो कर सकते/सकती हैं, उसके कुछ उदाहरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसके द्वारा आपको प्रदान की गई नीतियों और प्रक्रियाओं को पढ़ना, समझना और उनके साथ सहयोग करना
- यदि आपका संगठन किसी बदले जाने वाली या विकसित किए जानी वाली कार्य प्रक्रिया के बारे में आपसे पूछता है, तो उसे सुरक्षित रूप से कार्य करने के तरीकों के बारे में अपने विचार प्रदान करना
- यदि आप थके हुए/थकी हुई हैं और आपके स्वयंसेवा कार्य में गाड़ी चलाना शामिल है, तो संगठन को कॉल करें और बताएं कि आप आज स्वयंसेवा कार्य करने में असमर्थ हैं
- यदि आप एक कार में सेवार्थी को ले जा रहे/रही हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि आप और आपके सेवार्थी कमरपेटी पहने हुए हों और सड़क के नियमों का पालन करें
- यदि आप किसी को साइकिल की सवारी करना सिखा रहे/रही हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि उसने एक हेलमेट और मजबूत जूते पहने हुए हों।

यथोचित ध्यान रखना मुश्किल नहीं है। बस इस अध्याय के आरंभ में उल्लिखित कार्य-कलाप करें और यदि अपने कार्य के संबंध में अपने या दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में आपके पास कोई चिंताएँ हैं, तो अपने प्रबंधकों से बात करें।

स्वयंसेवकों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाने की संभावना नहीं होती है

यदि स्वयंसेवा करते समय आप उन बातों का पालन करते हैं जिनके बारे में इस निर्देशिका में विस्तार से बताया गया है, तो WHS अधिनियम के तहत आप पर जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है या आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही नहीं की

जा सकती है।

कुछ न्यायाधिकरणों में स्वयंसेवकों पर स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्य दो दशकों से अधिक समय के लिए रखे गए हैं, लेकिन उन कानूनों के तहत स्वयंसेवकों के खिलाफ किए गए कोई भी मुकदमों की जानकारी नहीं आई है। इसी तरह, नए WHS कानूनों के तहत स्वयंसेवकों पर कोई अभियोग नहीं लगाए गए हैं।

अतीत में वेतनीय कर्मचारियों के खिलाफ अभियोजन दुर्लभ रहे हैं और केवल लापरवाही या बहुत अधिक उपेक्षा से संबंधित गंभीर घटनाओं के संबंध में किए गए हैं।

यह उम्मीद की जाती है कि नियामक नए WHS कानूनों के तहत वेतनीय कर्मचारियों और स्वयंसेवकों के संबंध में यही दृष्टिकोण बनाए रखेंगे और अतीत में अभियोजन जितने दुर्लभ रहे हैं, वे उतने ही दुर्लभ रहेंगे।

उदाहरण:
सैम एक स्थानीय साहसिक क्लब में अपनी स्वयंसेवा की पहली पारी (शिफ्ट) शुरू करता है। अपनी पहली पारी में सैम को अन्य स्वयंसेवकों द्वारा यह बताया जाता है कि प्रवर्तन के रूप में जितनी देर तक वह सह सके, उतनी देर तक उसे एक गर्म भाप के कमरे में बंद किया जाएगा। सैम अन्य स्वयंसेवकों को बताता है कि वह एक चिकित्सीय रोग से ग्रस्त है और यह प्रवर्तन उसे गंभीर रूप से नुकसान पहुँचा सकता है। अन्य स्वयंसेवक उसे तब तक तंग करते हैं, जब तक वह मान नहीं जाता। सैम भाप के कमरे के अंदर चला जाता है। अन्य स्वयंसेवक दरवाज़ा बंद करके उष्मा को बढ़ा देते हैं। सैम को बहुत परेशानी होती है और वह भाप के कमरे में बेहोश हो जाता है।

स्वयंसेवकों के दल के नेता को पता चल जाता है कि क्या हो रहा है और वह जानता है कि संगठन में इस तरह के व्यवहार पर रोक लगाने के लिए सख्त नीतियाँ हैं। दल का नेता तुरंत भाप के कमरे में जाता है और सैम को कमरे से बाहर निकालता है। दल का नेता सैम को आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करता है। दल का नेता जल्द से जल्द संगठन के पास इस घटना की रिपोर्ट करता है।

इस मामले में यह प्रतीत होता है कि:

- संगठन ने इस प्रकार के प्रवर्तनों को रोकने का प्रयास करने के लिए सभी उचित कदम उठाए। तो इस बात की सँभावना नहीं है कि उसपर अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का पालन नहीं करने के लिए मुकदमा चलाया जाएगा।
- चूँकि दल के नेता ने उचित ख्याल रखा और जो हो रहा था उसे अनदेखा नहीं किया तथा दल के नेता के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए उसने एक कर्मी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन किया है। इस बात की सँभावना बहुत ही कम है कि WHS अधिनियम के तहत अपने कर्मी कर्तव्यों का पालन नहीं करने के लिए दल के नेता पर मुकदमा चलाया जाएगा।
- इस बात की सँभावना है कि सैम को भाप के कमरे में बंद करने वाले स्वयंसेवकों पर WHS अधिनियम के तहत कर्मियों के रूप में दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित न करने के यथोचित देखभाल करने के कर्तव्य को पूरा करने में नाकाम रहने और भूल-चूकों के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। स्वयंसेवक स्पष्टत: व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं क्योंकि उन्होंने सैम के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कार्य में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन पर अन्य कानूनों के तहत भी मुकदमा चलाया जा सकता है।

यदि कोई दुर्घटना हो जाए, तो?

यदि आपके स्वयंसेवा कार्य करते समय आप या कोई अन्य व्यक्ति:

- गंभीर रूप से घायल हो जाए,
- गंभीर रूप से बीमार हो जाए, या

- किसी खतरनाक घटना के घटित होने के कारण अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा की दृष्टि से एक गंभीर खतरे के संपर्क में आ जाए

तो आपको जितनी जल्दी सँभव हो सके, उतनी जल्दी उस संगठन को इस बात की जानकारी देनी चाहिए जिसके लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं। यह अपने पर्यवेक्षक या प्रबंधक को मात्र बताने जितना आसान हो सकता है। WHS अधिनियम के तहत इस प्रकार की घटनाओं, साथ ही कार्यस्थल में मृत्यु होने के प्रकरणों को, *'दर्ज करने योग्य घटनाओं' ('notifiable incidents')* के रूप में जाना जाता है।

आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसे आपके राज्य या राज्य-क्षेत्र के कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा नियामक को यह बताने की आवश्यकता होती है कि क्या संगठन के काम के परिणाम के रूप में कोई दर्ज करने योग्य घटनाएँ घटित हुई हैं। संगठन को यथोचित रूप से जल्दी से जल्दी नियामक को सूचित करने की ज़रूरत होती है।

यदि कुछ ऐसा होता है जो दर्ज करने योग्य घटना जितना गंभीर नहीं है, फिर भी आपको संगठन को बताना चाहिए। हो सकता है कि उनकी एक नीति भी हो जिसके तहत आपको इन बातों को रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो। इसके अलावा जिस संगठन में आप सवयंसेवा करते/करती हैं, उसके पास 'बाल-बाल बचने के प्रकरणों' सहित अन्य कम गंभीर घटनाओं के बारे में बात करने से भविष्य में अधिक गंभीर घटनाओं को रोकने में मदद मिल सकती है।

5 स्वयंसेवक अधिकारी

कुछ स्वयंसेवक संगठन के बोर्ड में बैठ सकते हैं या ऐसी किसी अन्य भूमिका में भाग ले सकते हैं, जिसमें वे उस पूरे संगठन या उसके एक बड़े अंश को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेते हैं जिसमें वे स्वयंसेवा कार्य करते हैं। वे जो भी निर्णय लेते हैं, उनमें संगठन की वित्तीय परिस्थिति को काफी प्रभावित करने की क्षमता हो सकती है। कोई स्वयंसेवक WHS अधिनियम के तहत एक 'अधिकारी' केवल तभी होता/होती है जब वह इस तरह के निर्णय लेता/लेती है, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेता/लेती है।

एक अधिकारी होने का निर्धारण संगठन के भीतर निर्णय लेने में उसकी भूमिका की प्रभावशाली प्रकृति द्वारा निर्धारित किया जाता है, न कि प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य और सुरक्षा अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जैसे पदनाम द्वारा।

स्वयंसेवक अधिकारियों के कर्तव्य

यदि आप एक स्वयंसेवक अधिकारी हैं, तो आपको यह सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल प्रयास करना चाहिए कि संगठन अपने स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का अनुपालन कर रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संगठन में उचित कार्य-तंत्रों की व्यवस्था है और आपको संगठन के भीतर स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन की सक्रिय रूप से निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए।

एक अधिकारी के रूप में इसके लिए प्रयास करने का मतलब यह भी है कि आप नीचे दिये गए उचित कदम उठाएँ।

- कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा मामलों के बारे में लगातार जानकारी बढ़ाएँ और स्वयं को अद्यतन रखें। उदाहरण के लिए, यह पता लगाएँ कि WHS अधिनियम की आवश्यकता क्या है और यथोचित साध्य रूप से खतरों और जोखिमों के उन्मूलन करने या उन्हें कम से कम बनाने के लिए कार्यनीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी रखें।
- संगठन जिस प्रकार का कार्य करता है, उसकी प्रकृति की समझ रखें और उन खतरों के प्रति जागरुकता रखें जिनका सामना संगठन का काम करते समय कर्मियों और स्वयंसेवियों को करना पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, संगठन के कार्यों से जुड़े जोखिमों और खतरों की एक सामान्य समझ हासिल करने के लिए एक उपयुक्त योग्य व्यक्ति से सलाह लेना आवश्यक हो सकता है।
- यह सुनिश्चित और सत्यापित करें कि संगठन के पास स्वास्थ्य और सुरक्षा के खतरों का उन्मूलन करने या उन्हें कम से कम करने के लिए उपयोग करने हेतु उपयुक्त संसाधन और प्रक्रियाएँ हैं, और वह उनका उपयोग करता है। उदाहरण के लिए, इसके लिए आपको इन बातों की एक समझ होने की आवश्यकता है कि स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए क्या चीजें आवश्यक हैं, प्रक्रियाओं और संसाधनों के बारे में निर्णय कैसे लिए जाएँ और यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है।
- यह सुनिश्चित और सत्यापित करें और इस बात की जाँच करें कि संगठन के पास कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में संचार और विचार करने के लिए प्रक्रियाएँ स्थापित हैं और वह उस जानकारी के प्रति प्रत्युत्तर देता है। इसमें यथोचित साध्य रूप से यह शामिल करना चाहिए कि घटनाओं और उभरते हुए जोखिमों और खतरों की रिपोर्टिंग की जाए और इस बात की पहचान की जाए कि क्या जोखिमों या खतरों का उन्मूलन करने या उन्हें कम से कम करने के लिए कार्यवाही की जाने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित और सत्यापित करें कि क्या संगठन के पास WHS कानून के तहत किन्हीं भी कर्तव्यों और आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए प्रक्रियाएँ हैं और क्या वह उन्हें कार्यान्वित करता है।

अधिकारी निम्नलिखित प्रकार से अपने कर्तव्यों को पूरा कर सकते हैं:

- बोर्ड की बैठकों में कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के मामलों के बारे में बात करके
- यह सुनिश्चित करके कि कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों के बारे में स्वयंसेवकों और अन्य कर्मचारियों के बीच परामर्श चलता रहे
- संगठनों की सुरक्षा प्रक्रियाओं के बारे में पूछ करके तथा इस बात की जाँच करके कि क्या वे संगठन को अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने में मदद देते हैं

- स्वयंसेवक व कर्मी संगठन के अंदर क्या करते हैं और उन्हें काम पर किन खतरों का सामना करना पड़ सकता है, इसके बारे में पता करके
- विशेष कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के मुद्दों के बारे में सलाह प्राप्त करके
- संगठन के लिए प्रासंगिक कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के घटनाक्रम और सबसे अच्छे अभ्यास के साथ अद्यतन बने रह करके।

स्वयंसेवी अधिकारियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है

WHS कानून के तहत किसी स्वयंसेवक अधिकारी पर अपने अधिकारी कर्तव्यों का पालन करने में नाकाम रहने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। स्वयंसेवक अधिकारियों के लिए यह उन्मुक्ति इस बात को सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई है कि अधिकारी स्तर पर स्वैच्छिक भागीदारी को हतोत्साहन न प्राप्त हो। लेकिन यदि कोई स्वयंसेवक अधिकारी एक कर्मी के रूप में उचित देखभाल नहीं करता/करती है, तो एक कर्मी की क्षमता के रूप में उसपर मुकदमा चलाया जा सकता है (अध्याय 4 देखें)।

उदाहरण:

एक चैरिटी के बोर्ड के सदस्य के रूप में बिल स्वयंसेवक कार्य करता है। वह मासिक आधार पर बोर्ड की बैठकों में आता है। इन बैठकों में बोर्ड के सदस्य अक्सर पूरे या चैरिटी के एक बड़े अंश को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं। इसमें निम्नलिखित के बारे में निर्णय शामिल हो सकते हैं:

- वित्त पोषण को कैसे आवंटित और खर्च किया जाएगा
- कितने स्वयंसेवक चैरिटी की दुकान पर किसी एक समय पर काम करेंगे, और
- चैरिटी के स्वयंसेवकों व कर्मियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली नीतियाँ और प्रक्रियाएँ। चूँकि बिल जिन निर्णयों को लेने में मदद करता है वे चैरिटी के पूरे या एक बड़े अंश को प्रभावित करते हैं, इसलिए उसे संगठन का एक अधिकारी माना जाता है और उसके लिए WHS अधिनियम के तहत अच्छी तरह से कर्तव्यपालन करना आवश्यक है।

बिल मई में बोर्ड की एक बैठक में भाग लेता है। इस बैठक में बोर्ड के सदस्य एक प्रशिक्षण मॉड्यूल पर चर्चा और सहमति करते हैं जिसे स्वयंसेवा कार्य शुरू करने से पहले सभी स्वयंसेवकों को पूरा करना होगा।

अच्छी तरह से कर्तव्यपालन करने के रूप में बिल:

- यह समझता है कि WHS अधिनियम के तहत चैरिटी के कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्य हैं
- यह सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षण मॉड्यूल में चैरिटी के स्वयंसेवकों व कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कार्य से संबंधित विषयों को शामिल किया गया है
- बोर्ड के अन्य सदस्यों के साथ इस बात पर सहमति करता है कि यदि आवश्यक हो, तो हर तीन वर्ष में एक बार प्रशिक्षण मॉड्यूल का मूल्यांकन और समीक्षा की जानी चाहिए, और
- चैरिटी के स्वयंसेवकों और कर्मियों द्वारा किए जाने वाले कार्य के अन्य पहलुओं को कवर करने के लिए अच्छी तरह से कारगर अन्य नीतियों और प्रक्रियाओं कि जाँच करता है।

चूँकि बिल एक स्वयंसेवक अधिकारी है, इसलिए उसपर अच्छी तरह से कर्तव्यपालन न करने के कारण मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। लेकिन बिल के लिए ऐसा करना चैरिटी के सर्वोत्तम हित में है। संगठन के अंदर अपने पदस्थान के कारण बिल को एक कर्मी भी माना जाता है और WHS अधिनियम के तहत उसके लिए कर्मी कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है।

6 घर से स्वयंसेवा कार्य करना

एक स्वयंसेवक के रूप में आप अपने खुद के घर से एक संगठन के लिए कार्य कर सकते/सकती हैं। इस परिस्थिति में भी अपना स्वयंसेवा कार्य करते समय WHS अधिनियम के तहत एक स्वयंसेवी कर्मी के रूप में आपका कर्तव्य बन पड़ता है।

एक कार्यस्थल के रूप में आपका घर

यदि आप अपने खुद के घर से स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, तो जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं वह आपके कार्य करने के स्थल का स्वामी नहीं होता है व उसका नियंत्रण या प्रबंधन नहीं करता है। इसका मतलब यह है कि कार्य करने के स्थान पर उसके पास आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने की एक सीमित क्षमता ही होती है। फिर भी उन्हें आपका स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसे कार्यस्थल में काम करते/करती हैं जो उनके नियंत्रण में है, तो इस स्थिति में उनके लिए यथोचित साध्य क्रिया-कलाप भिन्न होंगे।

अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए वे आपको एक वर्कस्टेशन स्थापित करने के बारे में जानकारी या सलाह दे सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो काम आपको दिया गया है, उसे करने के लिए आपके पास सभी आवश्यक उपकरण हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी अन्य निजी घर में काम करते/करती हैं, तो वे पर्याप्त जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपसे घर के बारे में सवाल पूछ सकते हैं जिससे कि आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रासंगिक खतरों को संबोधित करने के लिए जो भी निर्देश वे उपलब्ध कराते हैं, वे आपकी परिस्थिति के लिए उचित और व्यावहारिक हों।

फिर भी आपको निम्नलिखित करने की ज़रूरत है:

- अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सुरक्षा की उचित देखभाल करना
- यह सुनिश्चित करना कि आप संगठन के लिए जो कुछ कर रहे/रही हैं, वह दूसरों को प्रभावित नहीं करता है, और
- संगठन के उचित निर्देशों और नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करना।

यदि आप अपने घर में स्वयंसेवक कार्य कर रहे/रही हैं और वहाँ अन्य स्वयंसेवक भी आपके साथ कार्य करेंगे, तो आपको यह भी सुनिश्चित करने की ज़रूरत है कि उनके लिए आपके घर आना सुरक्षित है। यह वही सामान्य कानूनन दैनिक कर्तव्य है, जो आपके घर में आने वाले किसी भी आगंतुक के प्रति आपके लिए होता है।

अन्य लोगों के घरों में स्वयंसेवा कार्य करना

आप अन्य लोगों के घरों में स्वयंसेवा कार्य कर सकते/सकती हैं। इस स्थिति में आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसे उस घर में जाने से पहले आपके लिए उस घर के बारे में जानकारी प्रदान करनी चाहिए। संगठन उस घर में आपके लिए विशिष्ट खतरों के बारे में बता सकता है, उदाहरण के लिए उनके आँगन में कोई कुत्ता हो या सीढ़ियाँ विशेष रूप से खड़ी हों।

यदि आप कई सारे घरों में जाते/जाती हैं, तो उनके लिए प्रत्येक घर के बारे में विशिष्ट खतरों के बारे में जानकारी प्रदान करना यथोचित साध्य नहीं हो सकता है, लेकिन उन्हें आपको ऐसे खतरों के प्रकार के बारे में जानकारी देनी चाहिए जिनका सामना आपको करना पड़ सकता है।

संगठन को हमेशा आपको ऐसी अन्य जानकारी प्रदान करनी चाहिए जो आपके लिए स्वयंसेवा कार्य सुरक्षित रूप से करने के लिए आवश्यक है।

यह आवश्यक नहीं है कि किसी संगठन के लिए कार्य करते समय एक घर में एक समय में दो स्वयंसेवक कार्य करें। लेकिन जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, वह आपके स्वास्थ्य और सुरक्षा को बेहतर ढंग से सुनिश्चित करने के एक तरीके के रूप में ऐसा करने के लिए आपको कह सकता है।

7 आपातकालीन सेवा स्वयंसेवक

यदि आप किसी आपातकालीन सेवा संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, तो आपके वही कर्तव्य बन पड़ते हैं जो WHS अधिनियम के तहत किसी भी अन्य स्वयंसेवक के होते हैं। आपको चाहिए कि आप:

- अपने स्वयं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए उचित ध्यान रखें,
- यथोचित रूप से अपनी सक्षमता के अनुरूप यह सुनिश्चित करें कि आपके कार्य दूसरों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित नहीं करते हैं,
- संगठन द्वारा आपको दिए गए कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में उचित निर्देशों का अधिक से अधिक पालन करें, और
- जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसके दारा आपको दी गई उचित नीतियों और प्रक्रियाओं के साथ सहयोग करें (अध्याय 4 देखें)।

आपातकालीन सेवा स्वयंसेवक और 'अधिकारी'

WHS अधिनियम के तहत एक अधिकारी का अर्थ यह नहीं है कि उसके पदस्थान या शीर्षक के रूप में उसे एक अधिकारी कहा जाता है, उदाहरण के लिए प्राथमिक चिकित्सा अधिकारी। WHS कानून के तहत अधिकारी वे व्यक्ति होते हैं जो किसी संपूर्ण संगठन और उसकी वित्तीय स्थिति या उसके एक अंश को प्रभावित करने वाले निर्णय लेते हैं (अध्याय 5 देखें)।

क्या 'घटना नियंत्रक' एक अधिकारी होता है?

हालाँकि घटना नियंत्रक विशेष प्रतिक्रिया कार्य-कलापों को निर्देशित कर सकते हैं, परंतु वह आम-तौर पर किसी संगठन के संपूर्ण या बड़े अंश को प्रभावित करने वाले या उस संगठन के सँचालन के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेते हैं, या ऐसे निर्णयों का निर्धारण करने में भाग नहीं लेते हैं।

इसलिए इस बात की सँभावना नहीं होती है कि घटना नियंत्रक को WHS अधिनियम के तहत एक अधिकारी माना जाएगा।

8 WHS कानून धमकाने के आचरण और भेदभाव से आपकी सुरक्षा करते हैं

कार्यस्थल में धमकाना

आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसके लिए कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा की जिम्मेदारी के तहत यह आवश्यक है कि वह कार्यस्थल में धमकाने के आचरण, तनाव और उत्पीड़न से आपकी सुरक्षा करे। स्वयंसेवकों व कर्मियों का भी यह कर्तव्य बन पड़ता है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनके कार्य-कलापों से उनके स्वयं के या कार्यस्थल में अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए कोई खतरा पैदा न हो।

यदि आपको ऐसा लगे कि स्वयंसेवा कार्य करते समय आपको धमकाया जा रहा है और आप इस मुद्दे को अपने पर्यवेक्षक या प्रबंधक के सामने नहीं उठा सकते/सकती हैं, तो जानकारी और सलाह के लिए आप अपने राज्य या क्षेत्र के नियामक से संपर्क कर सकते/सकती हैं। कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा नियामक (Work health and safety regulator) का संपर्क विवरण Safe Work Australia की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

WHS भेदभाव

WHS अधिनियम में इसके लिए भी स्पष्ट रूप से प्रतिबंध है कि स्वयंसेवकों सहित कर्मियों द्वारा कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति चिंता का कोई मुद्दा खड़ा करने के कारण उनके साथ भेदभाव या पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाए। इस प्रकार का भेदभावपूर्ण व्यवहार करने वाले व्यक्ति पर आपराधिक दंड लगाए जा सकते हैं।

9 अन्य कानून

जब आप स्वयंसेवा कार्य कर रहे होते/रही होती हैं, तो ऐसे कुछ अन्य कानून भी होते हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए या जो आपकी सुरक्षा करते हैं। नीचे इनमें से कुछ कानूनों के लिए एक निर्देशिका दी गई है। आपको अपने संगठन या प्रासंगिक स्वयंसेवा निकाय से आगे की सलाह लेनी चाहिए।

भेदभाव विरोधी कानून

WHS कानूनों द्वारा भेदभाव से सुरक्षा के अलावा, राज्य, राज्य-क्षेत्र और राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) भेदभाव विरोधी कानून भी किसी व्यक्ति की विशेषताओं के कारण उसके प्रति भेदभाव करने से निषेध करते हैं। उदाहरण के लिए, कानून किसी व्यक्ति की जाति, लिंग, आयु, विकलांगता, धार्मिक विश्वास, राजनीतिक विश्वास, माता या पिता होने की परिस्थिति या ट्रेड यूनियन गतिविधियों और साथ ही अन्य विशेषताओं के कारण भेदभाव करने का निषेध करते हैं।

Commonwealth Human Rights and Equal Opportunity Commission की वेबसाइट राष्ट्रमंडल भेदभाव विरोधी कानूनों और राज्य व राज्य-क्षेत्र भेदभाव विरोधी निकायों (State and Territory anti-discrimination bodies) की वेबसाइटों के लिंक के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

बीमा

आम-तौर पर स्वयंसेवकों को कर्मचारियों की क्षतिपूर्ति केकानूनों द्वारा कवर प्राप्त नहीं होता है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसके पास एक ऐसा बीमा हो जो आपको व एक स्वयंसेवक के रूप में आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य-कलापों को पर्याप्त रूप से कवर करता हो।

Volunteering Australia वेबसाइट स्वयंसेवकों को कवर करने वाले सबसे आम प्रकार के बीमा के बारे में जानकारी प्रदान करती है।

व्यक्तिगत नागरिक दायित्व से संरक्षण परंतु आपराधिक दायित्व से संरक्षण नहीं

पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में ऐसे कानून मौजूद हैं जो एक स्वयंसेवक के रूप में आपके स्वयंसेवा कार्य करने या उसमें विफल होने के परिणामस्वरूप नुकसान या क्षति होने की स्थिति में व्यक्तिगत नागरिक दायित्व से आपकी रक्षा करते हैं।

परंतु यदि आप एक स्वयंसेवक के रूप में मादक-पदार्थों या एल्कोहल के प्रभाव के तहत या संगठन द्वारा अधिकृत गतिविधियों के दायरे से बाहर या उनके विपरीत कार्य कर रहे थे/रही थी, तो ये कानून इस स्थिति में आपके स्वयंसेवा कार्य करने या उसमें विफल होने के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान या क्षति के व्यक्तिगत नागरिक दायित्व से आपकी रक्षा नहीं करेंगे।

ये कानून किसी स्वयंसेवक की आपराधिक दायित्व से भी रक्षा नहीं करेंगे।

उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी स्वयंसेवक भूमिका में गाड़ी चलाते समय किसी कार दुर्घटना से ग्रस्त होते/होती हैं, तो इन कानूनों के तहत आम-तौर पर नुकसान से उत्पन्न कोई भी नागरिक दायित्व उस संगठन पर पड़ेगा जिसके लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं। लेकिन यदि आप कोई आपराधिक व्यवहार करते/करती हैं, जैसेकि बहुत तेजी से गाड़ी चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, या खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना, तो आप क्षति के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे/होंगी।

कुछ स्वयंसेवकों के लिए इस नियम के अपवाद हैं, उदाहरण के लिए, आपातकालीन सेवा कार्य करने वाले स्वयंसेवकों को अच्छे विश्वास में की गई गतिविधियों के लिए आपराधिक दायित्व का सामना नहीं करना पड़ेगा, जैसेकि कि एक आपात स्थिति का प्रत्युत्तर देने में आवश्यक सहायता करने के लिए संपत्ति को हुई हानि।

प्रत्येक न्याय-क्षेत्र में स्वयंसेवक संरक्षण कानून के बीच कुछ मतभेद हैं। उदाहरण के लिए, कुछ राज्यों और राज्य-क्षेत्रों में स्वयंसेवक को ऐसी स्थिति में इन कानूनों से संरक्षण प्राप्त नहीं होगा जबकि किसी दायित्व के लिए स्वयंसेवक पर बीमा कानून लागू होते हैं, जैसेकि अनिवार्य तीसरी पार्टी द्वारा मोटर वाहन बीमा। Volunteering Australia वेबसाइट स्वयंसेवकों के लिए बीमा पर और अधिक जानकारी प्रदान करती है।

औद्योगिक संबंध कानून

यदि आप एक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करते/करती हैं, तो इस बात की सँभावना नहीं है कि *Fair Work Act 2009* या राज्य या राज्य-क्षेत्र के औद्योगिक संबंध कानूनों की तरह के औद्योगिक संबंध कानून आपकी स्वयंसेवा व्यवस्था के लिए लागू होंगे। यदि आप ऐसा सोचते/सोचती हैं कि आपको एक स्वयंसेवक के बजाय एक कर्मचारी या ठेकेदार के रूप में कार्यरत किया गया है, तो आप Fair Work Ombudsman की वेबसाइट से जानकारी प्राप्त कर सकते/सकती हैं।

कर कानून

Volunteering Australia वेबसाइट स्वयंसेवकों को इस बारे में उपयोगी जानकारी प्रदान करती है कि उन्हें कब और कैसे कर का भुगतान करना पड़ सकता है।

10 जाँच-सूची

यदि जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, वह WHS कानूनों के तहत आता है, तो इस जाँचसूची को कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करने में सहायता प्राप्त करने के लिए एक निर्देशिका के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक व्यापक सूची नहीं है और पालन करने के लिए अन्य कार्यवाही आवश्यक हो सकती है।

प्रश्न		हाँ	नहीं
संगठन के कर्तव्य **यदि आप प्रश्न 1-7 के लिए 'नहीं' का उत्तर देते/देती हैं या फिर अनिश्चित हैं तो जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसमें आपको अपने प्रबंधक या पर्यवेक्षक से इस बारे में बात करनी चाहिए कि संगठन को कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है।**			
1	क्या आपको प्रेरण प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिसमें इस बारे में जानकारी और निर्देश भी शामिल हों कि स्वयंसेवा कार्य करते समय आप अपना काम सुरक्षित रूप से कैसे कर सकते/सकती हैं?		
2	क्या संगठन ने यह सुनिश्चित किया है कि आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली कोई मशीनरी या उपकरण कार्य करने के लिए उपयुक्त और प्रयोग करने के लिए सुरक्षित है?		
3	यदि आपको व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता है, तो क्या इसके लिए व्यवस्था की गई है ?		
4	क्या आपको संगठन की स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियों और प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, उदाहरण के लिए आपात स्थिति में क्या करना चाहिए, खतरों और घटनाओं की रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए?		
5	जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, क्या आपको उस संगठन से स्वयंसेवा कार्य करते समय आपको प्रभावित करने वाले स्वास्थ्य व सुरक्षा मुद्दों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है?		
6	क्या आपको अपना कार्य सुरक्षित रूप से करने के लिए तरीकों के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के अवसर दिए गए हैं?		
7	क्या आपको पता है कि आपके स्वयंसेवा कार्य करते समय यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो किससे संपर्क करना चाहिए?		
स्वयंसेवा कर्मी के कर्तव्य **यदि आप प्रश्न 8-12 के लिए 'नहीं' का उत्तर देते/देती हैं, तो आपको अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों का पालन करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।**			
8	जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, क्या आप अपनी यथोचित सक्षमता तक उस संगठन द्वारा दिए गए सुरक्षा निर्देशों, नीतियों और प्रक्रियाओं का पालन करते/करती हैं?		
9	जब आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, तो क्या आप अधिक से अधिक सुरक्षात्मक रूप से		

	वह कार्य करते/करती हैं?		
10	क्या आप अन्य लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में न डालने के लिए समुचित देखभाल करते/करती हैं?		
11	क्या आप कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण व चर्चाओं में भाग लेते/लेती हैं?		
12	क्या आप किन्हीं भी खतरनाक परिस्थितियों और घटनाओं की सूचना अपने पर्यवेक्षक को जल्द से जल्द रिपोर्ट करते/करती हैं?		
स्वयंसेवक अधिकारी के कर्तव्य **यदि आप प्रश्न 13-16 में से किसी के लिए भी 'नहीं' का उत्तर देते/देती हैं, तो आपको अपने कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा कर्तव्यों को पूरा करने के लिए सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।**			
13	एक स्वयंसेवक अधिकारी के रूप में आप जिस संगठन के लिए स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, क्या आपको पता है कि उस संगठन में कर्मी और स्वयंसेवक क्या कार्य करते हैं?		
14	क्या आपको पता है कि जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, उसमें कार्य करते समय स्वयंसेवी कर्मियों को किन खतरों का सामना करना पड़ता है?		
15	जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, क्या उस संगठन के पास सुरक्षित कार्य नीतियाँ और प्रक्रियाएँ हैं, क्या वह उनका प्रयोग करता है, और क्या वह उन्हें अद्यतन बनाए रखता है?		
16	जिस संगठन के लिए आप स्वयंसेवा कार्य करते/करती हैं, क्या आप उस संगठन के लिए प्रासंगिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के घटनाक्रमों, जोखिमों और खतरों के बारे में उदाहरणार्थ निम्नलिखित के माध्यम से सूचित रहते/रहती हैं: • नियमित रूप से अपने राज्य या राज्य-क्षेत्र के नियामक की वेबसाइट की जाँच करके • संगठन में प्रबंधक और अन्य कर्मियों के साथ-साथ स्वास्थ्य और सुरक्षा सलाहकारों या पेशेवरों के साथ बात करके • पत्रिकाओं और अखबारों में कार्य स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में लेखों को पढ़कर के।		